

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-22.01.19

संख्या-5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-512 बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-14 सह-पठित बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के खंड-5.2.2 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-2 (ज) के अधीन परिभाषित सभी उद्योग बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन के पात्र होंगे। इस श्रेणी में आने वाले सभी उद्योगों को, चाहे उनके निवेश का आकार कुछ भी हो, बियाडा द्वारा भूमि आवंटित की जा सकेगी।

यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(रंजीत कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह०/-
(रंजीत कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक- 512 पटना, दिनांक-22.01.19

सं०सं०- 5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

- प्रतिलिपि :-
- (1) महालेखाकार, बिहार, पटना ।
 - (2) प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना
 - (3) निदेशक, उद्योग निदेशालय/खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
 - (4) निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना ।
 - (5) निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना ।
 - (6) मा0 मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना ।
 - (7) प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
 - (8) अपर सचिव कोषांग, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
 - (9) आई.टी.मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(रंजीत कुमार)
सरकार के उप सचिव।

Government of Bihar
Department of Industries

Notification

Patna, Dated- 22-01-19

No.-5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018- 512 /In exercise of the powers conferred under section 14 of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 read with Clause 5.2.2 of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 the Government of Bihar hereby notifies that all the Industries defined under section 2(h) of the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 shall be eligible for allotment of lands in the Industrial Areas under control of the BIADA. All such Industries falling in this category, whatever their Investment size, may be allotted land by BIADA.

This Notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

By the order of Governor, Bihar

Sd/-

(Ranjit Kumar)

Deputy Secretary to Govt.

Memo No. 5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

Dated-

Copy to-Incharge Officer E-Gazette cell, Finance Department, Bihar, Patna with a Soft & Two Hard copy for Publication in Bihar extra ordinary Gazette.

Sd/-

(Ranjit Kumar)

Deputy Secretary to Govt.

Memo No. 5/स0-भू आवंटन (बियाडा)-10/2018-

512 Dated- 22-01-19

Copy to-1. Accountant General, Bihar, Patna

2. M.D, BIADA,

3. Director, Industries/Food Processing/

4. Director, Technical Development

5. Director, Handloom & Sericulture

6. Private Secretary to Hon'ble Minister Industries Department, Bihar, Patna

7. Private Secretary to Principal Secretary Industries Department, Bihar, Patna

8. Additional Secretary Cell, Industries Department, Bihar, Patna

9. I.T. Manager, Industries Department, Bihar, Patna



(Ranjit Kumar)

Deputy Secretary to Govt.